

समाहरणालय, पटना।

(शस्त्र शाखा)

फोन नं 0612-2219545 (काठ)
फैक्स नं 0612-2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

-: आदेश :-

12-06-2014

श्री मुकेश कुमार, पिता—श्री इन्द्रदेव सिंह, सा०—रामपुर डुमरा, पो०—रामपुर डुमरा, थाना—मराँची, जिला—पटना से प्राप्त एक एन०पी०बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञाप्ति आवेदन—पत्र पर शस्त्र अनुज्ञाप्ति वाद संख्या—०९—३८०/२०१३ कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच/सत्यापन प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित तिथि को आवेदक का पक्ष सुना गया एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया गया। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे ठीकेदारी करते हैं। पिछले तीन वर्ष से पूर्वी मोकामा से जिला पार्षद हैं एवं समाज सेवा का कार्य करते हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान—माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञाप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक—१५४/गो०, दिनांक—१६.०१.२०१४ द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञाप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त अग्रसारित किया गया है। सहायक पुलिस अधीक्षक, बाढ़ द्वारा ओ०पी० प्रभारी, पंचमहला एवं पुलिस निरीक्षक, हाथीदाह के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञाप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित एवं अनुशंसित करते हुए भेजा गया है। ओ०पी० प्रभारी, पंचमहला द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक ठीकेदारी करते हैं। वर्तमान में जिला परिषद पटना में हैं। समाज सेवा का कार्य करते हैं। तदोपरान्त आवेदक के जान—माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञाप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है, जिसके आलोक में थानाध्यक्ष द्वारा आवेदक को शस्त्र अनुज्ञाप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान—माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम १९५९ की धारा १३, शस्त्र नियम १९६२ में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री मुकेश

कुमार, पिता—श्री इन्द्रदेव सिंह, सा०—रामपुर डुमरा, पो०—रामपुर डुमरा, थाना—मराँची, जिला—पटना को उनके द्वारा अपने जान—माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन०पी०बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञाप्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञाप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्राणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञाप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञाप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगे।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एव संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।



जिला दण्डाधिकारी,
पटना।